



कार्यालय उप वन संरक्षक, जयपुर (उत्तर)



पुराना कोल डिपो, झोटवाडा रोड, पानी पेच, जयपुर-302016 e-mail dcfjaipurnorth@gmail.com Ph. 0141-2303165

क्रमांक :- एफ() FCA/उवसंजउ / 2021-22 / 8258

दिनांक 24-09-21

निमित्त,

मुख्य प्रबंधक,
सीकर न्यू ट्रांसमिशन लिमिटेड,
पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया
लिमिटेड की 100 प्रतिशत पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कम्पनी

विषय :- आप द्वारा प्रेषित प्रस्ताव "Construction of Sikar-II-Neemrana 400 KVD/C Transmission line (Twin HTLS*) District- Sikar, Jhunjhunu, Jaipur & Alwar (Raj.) Route Length- 126.290 km in Rajasthan Portine" (Total route length 134.810 km) & Proposal No. FP/RJ/TRANS/143945/2021 के क्रम में।

सन्दर्भ:- आपके कार्यालय के पत्रांक दिनांक 16.08.2021 के क्रम में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत सन्दर्भित प्रस्ताव के क्रम में लेख है कि आप द्वारा पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के वेबपोर्टल OSMFWCP पर प्रस्ताव सं- FP/RJ/TRANS/143945/2021 को रजिस्टर कर फार्म A Online प्रस्तुत करने के साथ-साथ उक्त प्रस्ताव के 6 सेट हार्डकॉपी में इस कार्यालय में जमा कराये गये थे। उक्त प्रकरण इस कार्यालय के वेब पोर्टल (परिवेश) पर ऑन लाईन दिनांक 24.08.2020 को प्राप्त हुआ था। जिनका निरीक्षण करने के उपरान्त प्रस्ताव में निम्नलिखित कमियां पायी गयी है। आप इनका प्रत्युत्तर भिजवाना सुनिश्चित करें:-

1. आप द्वारा जमा कराई गयी पत्रावली के पृष्ठ संख्या 50 पर इस कार्यालय अधिन गुजरने वाली प्रस्तावित ट्रांसमिशन लाईन की लम्बाई 5449 मीटर व प्रस्तावित प्रत्यावर्तित वन भूमि 25.0654 है0 दर्शाया गया हैं, की स्थिति स्पष्ट किया जाना प्रस्तावित हैं।
2. प्रस्तावित ट्रांसमिशन लाईन जयपुर जिले (इस कार्यालय अधिन क्षेत्र) के जिस-जिस ग्राम से गुजरेगी, उन ग्रामों की सत्यापित खसरा जमाबन्दी का लगाया जाना प्रस्तावित हैं।
3. प्रस्ताव के साथ संलग्न डिजिटल मैप पर खसरा मैप एक ही शीट पर सुपर इम्पोज किया जाना प्रस्तावित हैं।

अतः उक्त पत्र में वर्णित बिन्दुओं की पूर्ति कर प्रस्ताव पुनः प्रेषित करावें, ताकि प्रकरण में आवश्यक एवं अग्रिम कार्यवाही की जा सकेगी।

(सुदीप कौर)
उप वन संरक्षक
जयपुर (उत्तर)

क्रमांक :- एफ() FCA/उवसंजउ / 2020-21 /

प्रतिलिपि :- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

दिनांक

1. मुख्य वन संरक्षक, जयपुर।
2. क्षेत्रीय वन अधिकारी, कोटपूतली को देकर लेख है कि आप प्रस्तावित स्थल का मौका निरीक्षण कर वर्तमान स्थिति की रिपोर्ट प्रस्तुत करें, कि प्रकरण में यूजर एजेन्सी द्वारा वन संरक्षण अधिनियम, 1980 का उल्लंघन तो नहीं किया गया हैं।

उप वन संरक्षक
जयपुर (उत्तर)